माइक्रोफाइनेन्सः आर्थिक अशक्त को सशक्त बनाने का एक प्रभावी उपकरण

मधु भाटिया
असिस्टेंट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग
बी0 एस0 एन0 वी0 पी0 जी0 कॉलेज
स्टेशन रोड, चारबाग, लखनऊ–226001, उ0प्र0, भारत
madhubhatia000@gmail.com

सार

माइक्रोफाइनेन्स एक नवीन अवधारणा है, जो समाज के निर्धन तथा कमजोर वर्ग के व्यक्तियों की आर्थिक उन्नति के प्रति कृतसंकल्प है। वाणिज्यिक बैंकों की ऋण प्रदान करने की सीमित क्षमता तथा सीमाओं के कारण यह अनुभव किया गया कि वे व्यक्ति, जो आर्थिक रूप से अशक्त हैं, उनके सशक्तीकरण के लिए एक विशेष उपकरण खोजा जाना चाहिए, इसी उपकरण का नाम माईक्रोफाइनेन्स है। माईक्रोफाइनेन्स के इसी तकनीकी पक्ष का अवलोकन इस पत्र में किया गया है।

बीज शब्द– लघु साख सुविधा, कमजोर वर्ग, ऋण, गरीबी रेखा, स्वरोजगार, आर्थिक सशक्तिकरण।

Microfinance: an effective tool to make economically weak people strong

Madhu Bhatia
Assistant Professor and Head, Department of Commerce
B.S.N.V.P.G. College, Lucknow- 226001, U.P., India
madhubhatia000@gmail.com

Abstract

Micro finance is a new concept which aims for economic progress of poor and weaker section of society. Because of limited capacity and other limitations to provide loan, it has been experienced that those people, who are economically weak, an special tool must be found for their empowerment, this tool is called Micro Finance. An overview of technical aspect of Micro Finance is presented in this paper.

Key words- Microfinance, weaker section, credit, poverty line, self employment, economic empowerment.

1. प्रस्तावना

निर्धन तथा निम्न आय–वर्ग के व्यक्तियों को वित्तीय सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता को 'माईक्रोफाईनेन्स' के नाम से जाना जाता है। इसके अन्तर्गत लघु सारव सुविधा, बचत, बीमा तथा अन्य बुनियादी वित्तीय सेवाएं उन निर्धनों को प्राप्त होती हैं, जो अभी तक इन सुविधाओं से वंचित थे। इसका उद्देश्य निर्धनता में जीवन व्यतीत कर रहे व्यक्तियों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है ताकि वे वर्तमान स्थिति से ऊपर उठकर अपनी व अपने परिवार की बेहतर देखभाल कर सकें। व्यवहार में, इस

प्रकार की वित्तीय सेवा उपलब्ध कराने वाली संस्थाएं माईक्रोफाईनेन्स संस्थाएं(एम0एफ0आई0) कहलाती हैं। ये संस्थाएं पिछले लगभग तीस वर्षों से अनियमित या निम्न आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को बहुत कम जमानत या बिना जमानत के लघु वित्तीय सेवाएं तथा अन्य आर्थिक परामर्श उपलब्ध कराने के लिए नवीन पद्धतियां विकसित करने हेतु प्रयासरत हैं, जिसमें सम्मिलित हैंः समूहों को ऋण प्रदान करना, ऋण देने से पूर्व समूह की व्यक्तिगत बचत को देखना तथा इस आधार पर ऋण की राशि निर्धारित करना तथा समय पर ऋण चुकाने वाले समूहों को भविष्य में आवश्यकता के समय अधिक मात्रा में ऋण प्रदान करना, बचतें स्वीकार करना, बीमा, परामर्श, धन का हस्तान्तरण तथा अन्य वित्तीय सेवाएं।

2. लाभार्थी वर्ग

वे निर्धन तथा निम्न आय वर्ग के व्यक्ति जो सामान्यतः वाणिज्यिक बैंकों द्वारा साख प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं, माईक्रोफाईनेन्स के ग्राहक या लाभार्थी हैं। छोटे फुटकर विक्रेता, फेरीवाले, कुम्हार, दर्जी या अन्य किसी स्वरोजगार में संलग्न व्यक्ति इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। ये लाभार्थी गरीबी रेखा के आस पास के होते हैं, जिनमें अधिकांशतः महिलाएं होती हैं, जो 'स्वयं सहायता समूह' बनाकर सिलाई–कढ़ाई, टोकरी, अचार, पापड़, अगरबत्ती, माचिस, मोमबत्ती बनाना आदि कार्य व्यावसायिक उद्देश्य से करती हैं। पिछले दशक में कुछ माईक्रोफाईनेन्स संस्थाओं में वेतनभोगी कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों को भी अपना ग्राहक बनाया है, परन्तु इनकी संख्या सीमित है।

3. माईक्रोफाईनेन्स की आवश्यकता

1951 से भारतीय अर्थव्यवस्था की निरन्तर प्रगति के पश्चात आज भी हम पूर्ण रूप से विकसित देश की श्रेणी में नहीं आते। आय का निम्न स्तर तथा निम्न प्रति व्यक्ति आय आर्थिक कल्याण के निम्न स्तर तथा व्यापक गरीबी को इंगित करते हैं। 20वीं सदी में गरीबी में अत्यधिक गिरावट के बाद भी आज गरीबी भारत की विकास योजनाओं के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, जिसके दुष्प्रभाव हमें निम्न जीवन–स्तर, कुपोषण, अशिक्षा तथा निम्नस्तरीय मानव संसाधन के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। भारत में, गरीब वह व्यक्ति हैं जो अपनी बुनियादी आवश्यकताओं हेतु आवश्यक आय प्राप्त करने में असमर्थ हैं। तेंदुलकर समिति 2009–2010 की सिफारिशों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 673 तथा शहरी क्षेत्रों में 860 प्रतिमाह से कम आय प्राप्त करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा।

योजना आयोग (2004–05 तथा 2011–12) के अनुसार गरीबी का अनुमान तेंदुलकर पद्धति पर आधारित

वर्ष	गरीबी का अनुपात (प्रतिशत में)			गरीबों की संख्या (मिलियन में)		
	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
2004–05	41.8	25.7	37.2	326	81	407
2011–12	25.7	13.7	21.9	216	53	263

स्त्रोत– जनगणना सर्वेक्षण संगठनः भारतीय अर्थव्यवस्था 2012–13 की तालिका पर आधारित

गरीबी में गिरावट की दीर्घकालीन प्रवृत्ति के पश्चात भी शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में भारी मात्रात्मक गरीबी व्याप्त है। 2011–12 के नवीन आंकडों के अनुसार भारत में 263 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो कुल आबादी का लगभग 22 प्रतिशत है। एक राज्यस्तरीय ताजा सर्वेक्षण के अनुसार 90 प्रतिशत से अधिक भारतीय ग्रामीण निर्धन 10 बड़े राज्यों, यथा आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में रहते हैं। इससे भी अधिक सोचनीय स्थिति यह है कि 2004–05 की जनगणना के अनुसार 54 प्रतिशत भारतीय निर्धन बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश में रहते हैं।

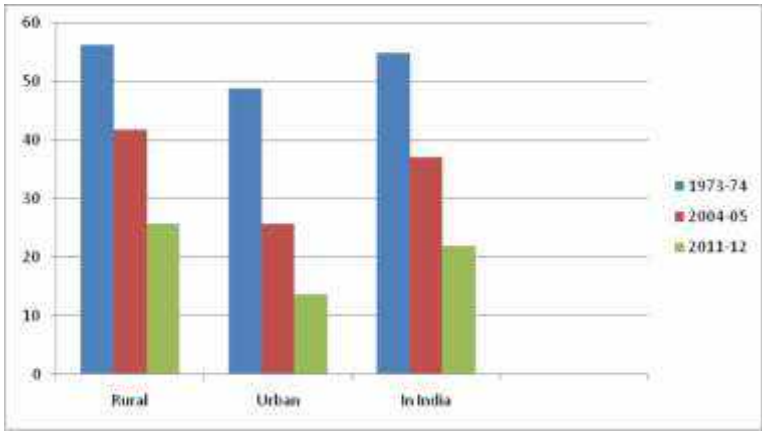

ग्रामीण गरीबों में अधिकांशतः भूमिहीन कृषक, कृषि श्रमिक, छोटे तथा सीमान्त कृषक, कुम्हार तथा पिछड़ी जाति तथा जनजाति के वे व्यक्ति हैं जो आर्थिक दृष्टि से निर्बल तथा समाज के कमजोर वर्ग में आते हैं। शहरी गरीबी मुख्यतः बेरोजगारों, अर्द्ध बेरोजगारों तथा उत्पादकता से जुड़े व्यक्तियों जैसे– गुमटी वालों, फेरीवालों, रिक्शा चालकों, छोटे फुटकर विक्रेता आदि के रूप में दिखती है जिनको अत्यन्त अल्प आय प्राप्त होती है। अधिकांश शहरी निर्धन या तो स्वरोजगार में संलग्न हैं अथवा असंगठित क्षेत्रों में कार्य करके अल्प आय प्राप्त कर रहे हैं।

भारत की निर्धन शहरी तथा ग्रामीण जनता विभिन्न गरीबी के दुष्चक्रों में घिरी है, ये दुष्चक्र हैं–

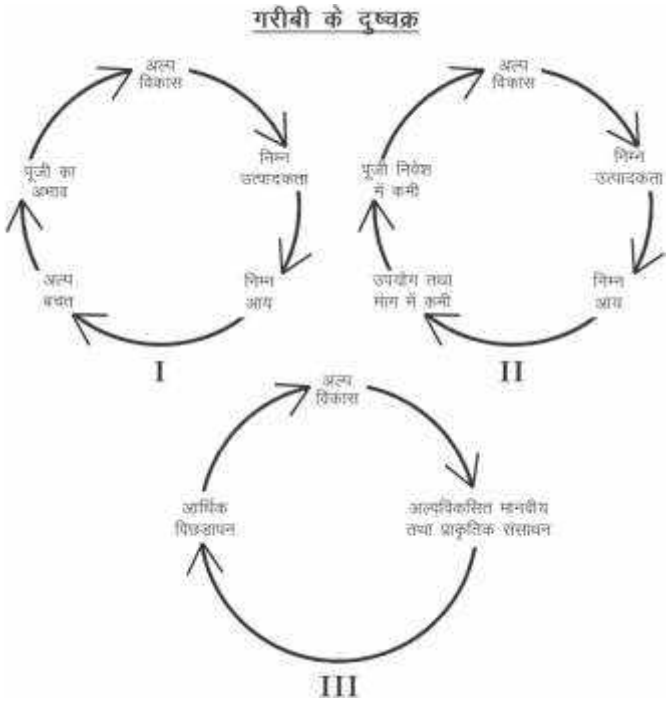

यद्यपि गरीबी के इन दुष्चक्रों से मुक्ति प्राप्त करने हेतु विभिन्न सरकारी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं परन्तु आवश्यकता इस बात की भी है कि गरीबों को आसान शर्तों पर, बिना जमानत या अल्प जमानत पर उचित समय पर सरलतापूर्वक वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए। माइक्रोफाईनेन्स इस आवश्यकता की पूर्ति करता है।

4. माईक्रोफाईनेन्स असहायों का सहारा

माईक्रोफाईनेन्स प्राप्त करके एक निर्धन व्यक्ति दीर्घकाल में अपने परिवार की आय तथा उपयोग में वृद्धि कर सकता है। सामान्यतः निर्धन व्यक्तियों की आय अनियमित एवं अनिश्चित होती है, माईक्रोफाईनेन्स के द्वारा वे अपने परिवार की भोजन, आवास, शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को निर्बाध रूप से पूरा कर रहे हैं। यह अल्प वेतनभोगी व्यक्तियों को बीमारी, चोरी या अन्य किसी प्राकृतिक आपदा के समय राहत दे रहा है। निर्धन व्यक्ति इन धन का प्रयोग सम्पत्ति जैसेः भूमि, आदि की खरीद में करके अपना भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। महिलाएं माईक्रोफाईनेन्स के द्वारा स्वरोजगार कर अपनी पारिवारिक तथा सामाजिक स्थिति में सुधार कर रही हैं। ऋणकर्ताओं ने स्वीकार किया है कि माईक्रोफाईनेन्स ने उनके जीवन में उल्लेखनीय सुधार किया है तथा इसी कारण वे ईमानदारी से अपना ऋण चुकाने में समर्थ हो सके हैं।

माईक्रोफाईनेन्स प्रदान करने वाली संस्थाएं

अधिकांश संस्थाएं लाभ रहित संगठनों जैसेः एन0जी0ओ0, साख संगठनों, अन्य वित्तीय सहकारी संगठनों तथा राजकीय विकास एवं डाक बचत बैंकों के रूप में आरम्भ की गईं परन्तु समय के साथ–साथ यह आवश्यक हो गया कि स्वयं की निरंतरता को बनाये रखने के लिए ये संस्थाएं भी समुचित लाभ प्राप्त करें, चूंकि बचत योजनाएं चालू रखने के लिए इन्हें भी बैंकिंग अधिकारियों से लाईसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है।

भारत की 5 शीर्ष माईक्रोफाईनेन्स संस्थाएं

	नाम	मुख्यालय	वैधानिक स्थिति	शाखाओं की संख्या	अशोधित ऋण (मिलियन में) 30 सितम्बर 2008	ऋण प्राप्तकर्ता 30 सितम्बर 2008	कुल परिसम्पत्तियां (मिलियन में) 30 सितम्बर 2008	कुल परिसम्पत्तियों से ऋण का अनुपात
	एस.के.एस. माईक्रोफाईनेन्स लिमिटेड	सिकंदराबाद आन्ध्रप्रदेश	प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी	1413	18227	2590950	2395	7.37
	स्पंदन स्फूर्ति फाईनेंशियल लिमिटेड	हैदराबाद आन्ध्र प्रदेश	पब्लिक लिमिटेड कम्पनी	696	11987	166807	1225	7.04
	शेयर माईक्रोफिन लिमिटेड	हैदराबाद आन्ध्र प्रदेश	पब्लिक लिमिटेड कम्पनी	666	8568	123155	1448	5.03
	अस्मिता माईक्रोफिन लिमिटेड	हैदराबाद आन्ध्र प्रदेश	पब्लिक लिमिटेड कम्पनी	363	4944	694350	475	9.92
	श्रीक्षेत्र धर्मस्थल रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट	धर्मस्थल कर्नाटक	ट्रस्ट	22	4060	612482	157	29.81

5. माईक्रोफाईनेन्स के लाभ

1. वे लोग, जो चल–अचल सम्पत्ति के अभाव में वाणिज्यिक बैंकों से ऋण प्राप्त करने में असफल रहते हैं या मजबूरीवश साहूकार, महाजन से ऋण लेकर उनके शोषण का शिकार होते हैं, माईक्रोफाईनेन्स प्राप्त कर सकते हैं।
2. वे छोटे व्यवसायी/व्यापारी, जो समुचित धन के अभाव में अपने व्यवसाय/व्यापार का विस्तार नहीं कर पाते, माईक्रोफाईनेन्स ऋण प्राप्त करके अपनी विस्तारवादी योजनाओं को साकार कर सकते हैं तथा भविष्य में लाभ प्राप्त करके ऋण चुकाने के साथ ही जीवन–स्तर में सुधार कर सकते हैं।

3. यह निम्न आय–वर्ग के व्यक्तियों को अकस्मात् उत्पन्न हुईं आर्थिक समस्याओं से निपटने हेतु साधन उपलब्ध कराके उन्हें आर्थिक स्थायित्व प्रदान करता है, जो उन्हें अच्छा पोषण, अच्छा स्वास्थ्य तथा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है।
4. माईक्रोफाईनेन्स संस्थाएं महिलाओं को ऋण प्रदान करने हेतु अधिक इच्छुक होती हैं क्योंकि ऋण चुकाने की दर पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं की अधिक है। वे महिलाएं, जो पूंजी के अभाव में इच्छुक होते हुए भी अपना व्यवसाय आरम्भ नहीं कर पाती, वे अपना व्यवसाय आरम्भ कर आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकती हैं।
5. भारत में 5–6 हजार रूपये की अल्प पूंजी से भी एक छोटा व्यवसाय आरम्भ किया जा सकता है। माईक्रोफाईनेन्स के द्वारा रोजगार के नये अवसर सृजित किये जा सकते हैं। इससे ऋण प्राप्त करके व्यक्ति न केवल स्वरोजगार प्राप्त कर सकता है वरन् अन्य व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान कर सकता है।

6. माईक्रोफाईनेन्स की चुनौतियाँ

माईक्रोफाईनेन्स संस्थाएं अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए अपने व्यवसाय का संचालन कर रही हैं। पहली चुनौती हैः ऋण प्रदान करने की लागत अधिक होना, चूंकि अधिक धनराशि के ऋण की अपेक्षा छोटी राशि के ऋण प्रदान करने की लागत अधिक होती है अतः इन संस्थाओं की ब्याज दर वाणिज्यिक बैंकों से अधिक होती है। अनेक बार ऋण प्राप्तकर्ता ऋण को अनुत्पादक कार्यों पर व्यय कर देते हैं, जिससे उनकी वापसी की संभावना क्षीण हो जाती है, ऐसे अचुकता ऋणों के कारण इन संस्थाओं को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। कभी–कभी ऋण प्राप्त कर्ता ऋण चुकाने को इच्छुक ही नहीं होता, चूंकि में ऋण कम जमानत या बिना जमानत के प्रदान किये जाते हैं अतः इनको वसूल करने में संस्थाओं को अपने संसाधनों का अपव्यय करना पड़ता है।

7. निष्कर्ष

व्यवहार में पाया गया है कि उपरोक्त चुनौतियों का सामना करके भी माईक्रोफाईनेन्स संस्थाएं लक्षित व्यक्तियों को उनके आर्थिक संकट या आवश्यकता के समय निरन्तर सहायता प्रदान कर रही हैं। ऋण प्राप्तकर्ताओं नें स्वीकारा है कि माईक्रोफाईनेन्स ने विपरीत आर्थिक परिस्थितियों से निपटने तथा आर्थिक कल्याण में वृद्धि करने में उनकी अतुलनीय सहायता की है। इस प्रकार माईक्रोफाईनेन्स आर्थिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के सशक्तीकरण का मार्ग निरन्तर प्रशस्त कर रहा है।

सन्दर्भ

1. प्रभ, घाटे(2007) "इंडियन माईक्रोफाईनेन्स–द चैलेन्जेस फॉर रैपिड ग्रोथ", सेज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
2. रॉबिन्सन, मार्गरेट एस0(2001) "द माईक्रोफाईनेन्स रिवोल्यूशनः सस्टेनेबल फाईनेंस फॉर द पुअर", इंटरनेशनल बुक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एण्ड डेवलपमेंट/द वर्ल्ड बैंक, वाशिंगटन डी0सी0।
3. बाई, मीरा (2006) "वुमेन एण्ड इकोनॉमिक रिफार्मस", न्यू देल्ही सीरियल पब्लिकेशंस, नई दिल्ली।
4. फिशर, टी0 एवं श्रीराम, एम0 एस0(2002), "बियॉन्ड माईक्रोक्रेडिट–पुटिंग डेवलपमेंट बैंक इन टू माईक्रोफाईनेंस", ऑक्सफेम पब्लिकेशन्स, यू0के0।
5. नाथ, धर समिरेन्द(2004), "माईक्रोफाईनेन्स फॉर वुमेन", नार्दर्न बुक सेन्टर, नई दिल्ली।
6. गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया, रिपोर्ट फॉर द वर्किंग ग्रुप ऑफ इम्पावरमेंट ऑफ वुमेन फॉर द इलेवेंथ प्लान।
7. इंटरनेट तथा पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित विभिन्न लेख।
8. सरकारी प्रकाशन तथा प्रतिवेदन आदि।